न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट

पीठासीन अधिकारी :- श्री मांगीलाल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 06/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सत्यनारायण पुत्र जगमालराम जाति विश्नोई निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट जिला-फलौदी		तहसीलदार लोहावट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :-प्रार्थी की ओर से :-अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह चौहान
अप्रार्थी की ओर से :- श्री पैरोकार सरकार

-:: निर्णय ::- **दिनांक** 24.06.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो व कब्जा काश्त की कृषि भूमि तहसील लोहावट पटवार हल्का लोहावट विश्नाबास के राजस्व ग्राम लोहावट बिश्नाबास की सरहद में खेत खसरा नम्बर 236 रकबा 2.1137 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 भूमि आई हुई है । प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर 236 की भूमि के पड़ोसी खसरा नंबर 212 में प्रार्थी के परिवार के पुत्र, पुत्रवधु की खरीदशुदा भूमि, खसरा नम्बर 235 की भूमि प्रार्थी भाई प्रेमकुमार की भूमि, खसरा नम्बर 163/3043 की भूमि प्रार्थी के तीनो पुत्रो की भूमि है अर्थात अधिकांश पड़ोसी प्रार्थी के परिवार के सदस्य ही है जिनसे आपस में कोई विवाद नही है एवं मध्य में एक सड़क है प्रार्थी अपनी भूमि का समपरिवर्तन करवाना चाहता है एवं भविष्य में प्रार्थी के पुत्रो, पुत्रवधुओ में आपस में कोई विवाद नही हो इसलिए संपरिवर्तन से पूर्व वह अपनी उक्त भूमि की सीमाओ को पुख्ता करने के लिये प्रत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित काश्त भूमि की पेमाईश के लिए तहसीलदार साहब लोहावट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार फीस जमा करवायी जिस पर उक्त भूमि की पेमाईश करने के लिए आदेश क्रमांक 207 पृष्ठ संख्या 22 दिनांक 13.03.2024 की पालना में दिनांक 21.03. 2024 को हल्का पटवारी लोहावट बिश्नाबास ने उक्त काश्त भूमि की पैमाईश कर मौका फर्द रुबरु मौतबिरान तैयार की। प्रार्थी ने दिनाक 26.03.2024 को तहसीलदार लोहावट से मिलकर पैमाईश फर्द दिनांक 21.03.2024 के अनुसार प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि की पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो उनके द्वारा न्यायालय

सहायक कलक्टर
लोहावट (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

सक्षम के लिखित आदेश से ही पत्थरगढ़ी किया जाना संभव बताया प्रार्थी अपनी खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि की पत्थरगढ़ी हेतु वांछित शुल्क अदा करने हेतु तत्पर है और वक्त पत्थरगढ़ी कार्य हेतु मौके पर मजदूर एवं पत्थर की व्यवस्था, पुनः सीमांकन कार्यवाही भी आवश्यक करवाने हेतु तत्पर है।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी खातेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त की भूमि तहसील लोहावट पटवार हल्का लोहावट विश्नावास के राजस्व ग्राम लोहावट विश्नावास की सरहद में खेत खसरा नम्बर 236 रकबा 2.1137 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान एवं दिनांक 21.03.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश फरमावे एवं मौके पर शांति व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी अधिकारी पुलिस थाना लोहावट को मौके पर उपस्थित रहने के लिए पाबन्द करावें अन्य कोई आदेश इस प्रार्थना पत्र की प्रकृति से प्रार्थी के हितकर जारी फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लोहावट का नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र का जवाब पेश किया गया जिसमें बताया गया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर 2821/163 का प्रार्थी जमाबन्दी में अनुसार खातेदार है। भूपरिवर्तन से पूर्व भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक को पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 2821/163 की भूमि की पैमाईश किया जाना नहीं वर्णित किया गया है। प्रार्थी की भूमि के पास से सड़क गुजरने के कारण भूपरिवर्तन से पूर्व पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की काश्त भूमि की पत्थरगढ़ी श्रीमान न्यायालय द्वारा के आदेश के संबंध होने से पत्थरगढ़ी से पूर्व पड़ौसियान को सूचित करते हुये पत्थरगढ़ी करने का उचित निर्णय फरमावे।

प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की ख.नं. 236 की भूमि के क्रमशः ख.नं. 235 के पड़ौसी खातेदार प्रेम कुमार पुत्र जगनारायण, ख.नं. 163/3043 के खातेदार तेजपाल, लक्ष्मणकुमार, कमलकिशोर पुत्रगण सत्यनारायण, ख.नं. 212 के खातेदार लक्ष्मणकुमार, कमलकिशोर पुत्रगण सत्यनारायण, श्याना पत्नी लक्ष्मणकुमार, सुमन पत्नी कमलकिशोर व ख.नं. 237 की खातेदार ईनसी पत्नी अशोककुमार सभी जाति बिश्नोई निवासी लोहावट विश्नावास ने प्रार्थी की ख.नं. 236 की काश्त भूमि की पत्थरगढ़ी करने में सहमति प्रदान की है।

तहसीलदार
लोहावट (जोधपुर)

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया की प्रार्थी प्रकरण में वर्णित काश्त भूमि का खातेदार है जिसने नियमानुसार भूमि पैमाईश करवाई जिसकी प्रमाणित फर्द भी पेश कि है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का संपरिवर्तन करवाना चाहता है। जिससे पूर्व वह अपनी उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिसमें सभी पड़ौसी खातेदारों ने सहमति प्रदान कर दी है। इसलिए हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार ने बहस में बताया कि पत्थरगढी करने से पूर्व पड़ौसियान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने का उचित आदेश फरमावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम लोहावट विश्नावास के ख.नं. 236 रकबा 2.1137 हैक्टेयर किस्म बी-3 की प्रमाणित जमाबंदी संवत 2074-2077 में प्रार्थी खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 21.03.2024 की प्रमाणित प्रति भी पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त दस्तावेजात से प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी पाया जाता है। इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है और न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाने है। इसलिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकर योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लोहावट को आदेश दिये जाते है कि ग्राम लोहावट विश्नावास तहसील लोहवट के ख.नं. 236 रकबा 2.
1137 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 21.03.2024 के मुताबिक पत्थरगढी की जावे। मौके पर आवश्यक होने पर शान्ति व्यवस्था के लिए पुलिस थाना लोहावट से ईमदाद ली जाकर पत्थरगढी करवायी जावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 24.06.2024 **को सुनाया गया।**

मांगीलाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी लोहावट

सहायक कलक्टर (जोधपुर)

उप खण्ड अधिकारी लोहावट
जिला फलौदी